FORM NO-III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सीकर

मोहम्मद ईशाक **बनाम** मोहनलाल आदि

किस्म मुकदमा – प्रार्थना–पत्र स्थानान्तरण मुकदमा नम्बरः– 09 /2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.02.2025	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से वकील श्री नसीर अहमद खान उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण न्यायालय सहायक कलक्टर (प्रथम) सीकर में विचाराधीन प्रकरण संख्या 85/2015 उनवानी मोहनलाल बनाम सलाउदीन को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करवाये जाने बाबत पेश किया गया है। रिपोर्ट सरिस्ता ली गई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर वकील प्रार्थी को सुना गया। रिकार्ड न्यायालय हाजा से संज्ञान में लाया गया कि, वकील प्रार्थी द्वारा पूर्व में भी एक अन्य प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पूर्व में पदस्थापित पीठासीन अधिकारी (सहायक कलक्टर (प्रथम) सीकर) के विरूद्ध न्यायालय सहायक कलक्टर (प्रथम) सीकर में विचाराधीन प्रकरण संख्या 85/2015 उनवानी मोहनलाल बनाम सलाउदीन को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करवाये जाने बाबत पेश किया गया था। जो कि न्यायालय हाजा में प्रकरण संख्या 06/2024 बउनवानी मोहम्मद ईशाक बनाम मोहनलाल दर्ज किया जाकर पूर्व में पदस्थापित पीठासीन अधिकारी (सहायक कलक्टर (प्रथम) सीकर) के स्थानान्तरण उपरान्त दिनांक 05.11.2024 को निर्णित कर दिया गया है। वकील प्रार्थी ने पुनः जो आवेदन बाबत स्थानान्तरण पेश किया है, उसमें दर्ज तथ्यों के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य सबूत इस न्यायालय में पेश नहीं किया है। प्रार्थी द्वारा पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में कोई ठोस व कानूनी आधार अंकित नहीं किया है ना ही कोई साक्ष्य/सबूत भी पेश किया गया है। RRT 494 Surta Singh vs. Sugani & Ors.= 2007(1) में राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा पारित निर्णय में यह अंकित किया गया है कि **"किसी पक्षकार को यह अनुमति नहीं दी जा सकती कि वह असत्य एवं आधारहीन तथ्यों के आधार पर न्यायिक सिद्धान्त का अनुचित लाभ लेते हुए अधीनस्थ न्यायालय पर अनावश्यक आक्षेप लगाये, दबाव डाले एवं न्यायिक प्रक्रिया में रूकावट उत्पन्न करे। प्रकरण के स्थानान्तरण के लिए मात्र उपधारणा या सम्भव आकांक्षा पर्याप्त आधार नहीं है। पक्षकार के किसी काल्पनिक धारणा के कारण प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।"** (मुकुल शर्मा) जिला कलेक्टर, सीकर	

न्यायालय जिला कलक्टर ★ सीकर (राज.) ★

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रार्थी द्वारा मुन्तकिली प्रार्थना पत्र में अंकित अभिवचन आधारहीन, तथ्यहीन है। अवांछित आधारों को मान्य करार नहीं किया जा सकता। पीठासीन अधिकारी के विरूद्व बिना सबूत व आधार के मुन्तकिली प्रार्थना पत्र में अभिवचन करना न सिर्फ अवांछित है, बल्कि अनुचित एवं अनैतिक तथा न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला भी है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन मात्र प्रकरण को विलम्बित किये जाने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया जाना प्रतीत होता है। अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण **खारिज** किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। (मुकुल शर्मा) जिला कलक्टर, सीकर (मुकुल शर्मा) जिला कलेक्टर, सीकर	

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)